Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में बिजली विभाग कनिष्ठ अभियन्ता व ठेकेदार 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज बूंदी में कार्यवाही करते हुये बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता राजेन्द्र कुमार मीणा व ठेकेदार कन्हैयालाल को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी होटल के पास से निकली हुई 11000 के.वी. लाईन को शिफ्ट करने की एवज में बिजली विभाग नमाना जिला बूंदी के कनिष्ठ अभियन्ता राजेन्द्र कुमार मीणा व ठेकेदार कन्हैयालाल द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री नरेश कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक** व टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मथुरालाल मीणा निवासी महावीर नगर अलीगढ उनियारा जिला टोंक, हाल निवास गढ़ नम्बर तीन के पास नवजीवन कॉलोनी बूंदी, हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता नमाना जिला बूंदी तथा कन्हैयालाल पुत्र रामदयाल तैली निवासी रायता थाना सदर जिला बूंदी हाल ठेकेदार बिजली विभाग नमाना जिला बूंदी को परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपीयान द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि दौराने सत्यापन परिवादी से पूर्व में प्राप्त की गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ सहित निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।